

09.05.2025:-पत्रावली आज वादीगण जरिय अधिवक्ता श्री रामकुमार करवा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण मे लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा हो गया। इसलिए वाद पत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते वाद पत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा कि गई। वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वादपत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

